

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 165 : विनियम बनाने की शक्ति

बोर्ड, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम, अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।
